

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-2, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 आश्विन 5, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 708 / 79-वि-1—21-2(क)-9-2021 लखनऊ, 27 सितम्बर, 2021

अधिसूचना विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2021) जिससे श्रम अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७ सन् २०२१)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है:

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:—

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) संक्षिप्त नाम (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1978 की धारा 5 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 5 में :--

एक—उप-धारा (2) में शब्द "ऐसी अविध के लिये जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा" रख दिये जायेंगे।

दो—उप-धारा (2) के परन्तुक में शब्द ''तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रूपये से कम की शास्ति'' रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No.708(2)/LXXIX-V-1-21-2(ka)-9-2021 Dated Lucknow, September 27, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Shanti (Mazdoori Ka Yathasamaya Sandaya) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 7 of 2021) promulgated by the Governor. The Shram Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY PAYMENT OF WAGES)
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 7 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy Second Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to further amend the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act, 1978.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of the Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) (Amendment) Ordinance, 2021.

Short title

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act, 1978:-

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 5 of 1978

- i. In sub-section 2 for the words "imprisonment for a term which shall not be less then three months but may extend to three years and shall also be liable to fine"the words "fine which shall not be less than rupees fifty thousand but may extend to rupees one lakh" shall be *substituted*.
- ii. In proviso to sub-section 2 for the words "Sentence of imprisonment for a term of less than three months", the words "penalty of less than rupees fifty Thousand" shall be *substituted*.

ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 325 राजपत्र—2021—(६९०)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 83 सा० विधायी—2021—(६९१)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।